<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>05.01.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल कार्यालय ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुल **लगभग 2.85 करोड़ रुपये** कीमत की अचल संपत्तियों (जिसमें बिहार और दिल्ली में फ्लैट व भूमि शामिल हैं) तथा चल संपत्तियों (जिसमें बैंक बैलेंस, सोने और चांदी के गहने, और इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश शामिल हैं) को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये संपत्तियां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), पटना, बिहार के तत्कालीन उप महाप्रबंधक (डीजीएम) प्रभांशु शेखर ने भ्रष्टाचार करके अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर हासिल की थीं।

ईडी ने सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), पटना द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और उनमें दायर आरोप-पत्र के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था। 22.12.2023 की सीबीआई आरोप-पत्र संख्या 24/2023 की जांच से पता चला कि 01.01.2016 से 23.09.2022 की जांच अवधि के दौरान, प्रभांशु शेखर ने अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर **लगभग 4.07 करोड़ रुपये** की अनुपातहीन संपत्ति हासिल की थी।

ईडी की पीएमएलए के तहत जांच में पता चला कि प्रभांशु शेखर, 01.01.2016 से 23.09.2022 की अवधि के दौरान बिहार में एनएचएआई के डीजीएम के तौर पर अपनी तैनाती के दौरान, बढ़े हुए बिल पास करके, मेज़रमेंट बुक में हेराफेरी करके, और मेसर्स अशोक बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को नज़रअंदाज़ करके भ्रष्ट कामों में लिप्त रहे। इससे काफी मात्रा में अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न हुई। इस पीओसी का कुछ हिस्सा सीधे उसके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में जमा किया गया और रोज़मर्रा के खर्चों के लिए भी इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, नकद आय को उसकी पत्नी के नाम पर अचल संपत्तियों में और स्वयं व उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर बीमा पॉलिसी, सोना और चांदी के गहने जैसी चल संपत्तियों में निवेश किया गया।

आगे की जांच जारी है।